। कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा ।

पार्ट–I एवं II की आक्षेप की पूर्ति उपरान्त इस कार्यालय द्वारा परीक्षण बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं में संशोधन किया जाना अपेक्षित है:–

– बिन्दु संख्या –2 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-1 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नही किये जाने का कारण स्पष्ट नही किया गया है अगर यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया है तो प्रस्ताव में संलग्नक की स्थिति इंगित करें।

– बिन्दु संख्या –9 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या H में यूजर ऐजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति संलग्न नही की गयी है।

– बिन्दु संख्या –10 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या I में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है अतः वन्यजीव स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।

– बिन्दु संख्या –11 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-i के बिन्दु संख्या 5 में ग्रामसभा कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है उसमें वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न करके एयर स्ट्रिप एक्सटेंशन की स्वीकृति दी गई है जो उचित नही है। इसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

– बिन्दु संख्या –12 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में 120.4062 गैर वन भूमि को वन विभाग को प्रस्ताव के बदले आरक्षित किये जाने के आदेश एवं उससे संबंधित जमाबन्दी संलग्न की जानी प्रस्तावित है।

– बिन्दु संख्या –19 पार्ट–II के बिन्दु संख्या 11(1) में उप वन संरक्षक द्वारा 9.71 है0 वनभूमि पर निर्माण के होने का बाबत अंकित किया जाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अवगत कराने के साथ ही मामला न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया गया है। इस संबंध में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या कार्यवाही की गई सहित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।